

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी—

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

1. सरदाराराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.....वादी

बनाम

1. उम्मेद पुत्र उदमीराम
2. महावीर पुत्र उदमीराम
3. सतवीर पुत्र उदमीराम
4. भगवानी पत्नी उदमीराम जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा त0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. मुनेश पुत्री उदमीराम पत्नी लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा त0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद दायमा की ढाणी तह0 कोटपुतली जिला जयपुर राज0
6. रेशमी पुत्री उदमीराम पत्नी दोकन (देवकरण) जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा हाल आबाद जैतपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. विक्रम
8. सन्नी
9. शेरसिंह पुत्रान ओमा देवी पत्नी रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी जरावत की ढाणी तह0 व जिला रेवाड़ी हरि0
10. भन्ता देवी पुत्री ओमा देवी पत्नी जसवन्त जाति मेघवाल निवासी नांगल तेजु तह0 बावल जिला रेवाड़ी हरि0
11. टीना पुत्री ओमा देवी पत्नी नवीर जाति मेघवाल निवासी राणीका त0 व जिला दादरी
12. हीरालाल पुत्र बनवारी
13. प्रेम सिंह
14. पृथ्वी सिंह पुत्रान बनवारी
15. रामेश्वर पुत्र बनवारी जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा त0 बुहाना जिला झुंझुनूं
16. कमलेश पुत्री बनवारी पत्नी रावत जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा हाल आबाद जरावता की ढाणी त0 व जिला रेवाड़ी हरि0
17. सुनी पुत्री बनवारी पत्नी सुबे सिंह जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा हाल आबाद जरावता की ढाणी त0 व जिला रेवाड़ी हरि0
18. रामगिरी पुत्री बनवारी पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा हाल आबाद जरावता की ढाणी त0 व जिला रेवाड़ी हरि0
19. शान्ति पत्नी बनवारी जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
20. सेमती पुत्री बनवारी पत्नी कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी जरावता की ढाणी तह0 व जिला रेवाड़ी हरि0



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

21. मनीराम पुत्र चन्दगीराम जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
22. राजपाल पुत्र चन्दगीराम जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
23. मोलड़ पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी बृजपुरा तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
24. उगम सिंह पुत्र रामप्रसादी जाति मेघवाल निवासी निम्बी त0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
25. राजबाला पुत्री उदमीराम पत्नी मुरारी लाल जाति मेघवाल निवासी दायमा की ढाणी तह0 कोटपुतली जिला जयपुर राज0
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती

--:निर्णय:--

दिनांक :- 06-09-22

(1). वादी ने वाद-पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि-

यह कि ग्राम बृजपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि हाल खाता स0 32 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख0न0 10 रकबा 1.18 है0 ख0न0 11 रकबा 0.65 है0 ख0न0 12 रकबा 0.45 है0 ख0न0 8 रकबा 2.37 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.65 है0 में वादी को उसकी माता शान्ति पत्नी मंगलाराम जो फौत हो चुकी है उसकी जगह 1/4 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे तथा वादी के नाम दर्ज सरदाराराम पुत्र उदमीराम हिस्सा 13/1392 में से वादी का नाम हटाया जाकर उक्त हिस्सा प्रति0 स0 1 से 11 के नाम दर्ज किया जावे। जो प्रति0 स0 1 से 11 को प्रत्येक का 13/1392 की जगह 15/1392 प्रत्येक का दर्ज किया जावे व प्रति0 स0 7 से 11 को 13/1392 की जगह 15/1392 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जाये। व वादी का नाम उदमीराम के पुत्र के नाम से दर्ज है उसको हटवाया जावे व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(2). यह कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे।

(3). कि अन्य कोई अनुतोष जो आयाचित रह गया हो वादी को दिलवाय जावे।

--: आदेश :-

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बृजपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि हाल खाता स0 32 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख0न0 10 रकबा 1.18 है0 ख0न0 11 रकबा 0.65 है0 ख0न0 12 रकबा 0.45 है0 ख0न0 8 रकबा 2.37 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.65 है0 में वादी को उसकी माता शान्ति पत्नी मंगलाराम जो फौत हो चुकी है के स्थान पर 1/4 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। वादी के नाम दर्ज (सरदाराराम पुत्र उदमीराम) हिस्सा 13/1392 में वादी का नाम हजफ कर प्रति0 स0 1 से 11 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

है। प्रति 0 स 0 1 से 11 को प्रत्येक का 13/1392 के स्थान पर 15/1392 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रति 0 स 0 7 से 11 का 13/1392 के स्थान पर 15/1392 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादी का नाम सरदाराराम पुत्र उदमीराम के स्थान पर सरदाराराम पुत्र मंगलाराम जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित पक्षकारान को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के पक्ष में दर्ज किया जावें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कमिश्नर, बुहाना

जिला झुन्झुन (राज.)

06-09-22

निर्णय आज दिनांक-----को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कमिश्नर, बुहाना

जिला झुन्झुन (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी—

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:—185 / 2019

जीसीएमएस वाद संख्या : 2019 / 0000980

निर्णय दिनांक:— 06-09-22

सरदाराराम बनाम उम्मेद आदि

दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती

वादी की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-09-22 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि —

“ न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बृजपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि हाल खाता स0 32 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख0न0 10 रकबा 1.18 है0 ख0न0 11 रकबा 0.65 है0 ख0न0 12 रकबा 0.45 है0 ख0न0 8 रकबा 2.37 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.65 है0 में वादी को उसकी माता शान्ति पत्नी मंगलाराम जो फौत हो चुकी है के स्थान पर 1/4 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। वादी के नाम दर्ज (सरदाराराम पुत्र उदमीराम) हिस्सा 13/1392 में वादी का नाम हजफ कर प्रति0 स0 1 से 11 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रति0 स0 1 से 11 को प्रत्येक का 13/1392 के स्थान पर 15/1392 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रति0 स0 7 से 11 का 13/1392 के स्थान पर 15/1392 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी का नाम सरदाराराम पुत्र उदमीराम के स्थान पर सरदाराराम पुत्र मंगलाराम जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित पक्षकारान को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के पक्ष में दर्ज किया जावे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06-09-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)